राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

क्रमांकःपं. 1 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 349 दिनांक :– 10/05/2022

–::कार्यालय आदेश::–

Secretary/Chairman Pandit Gopiram Public Health Education Society. (B.B.N. College of Paramedical Sciences, Dayand Marg, Opp. Company Bag, Alwar, Rajasthan.) को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 5908 दिनांक 27.11.2015 संस्थान को डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेट्री टैक्नोलोजी, डिप्लोमा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालन हेतु 25 सीटो की अस्थाई मान्यता दी गई थी।

राजस्थान पैरामेडिकल एक्ट 2008 नियम / विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1) A के प्रावधानों की अनुपालना में मान्यता प्राप्ति के 05 वर्ष उपरान्त स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है।

श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री भगवाना राम प्रधानाचार्य बी.बी.एन. कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइन्सेज सामने कम्पनी बाग, दयानन्द मार्ग अलवर राजस्थान ने दिनांक 30.03.2022 को 50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 01 व 02 में अवगत करवाया कि संस्थान को दिनांक 27.11.2015 को मान्यता प्रदान की गई थी, तथा अभी तक संस्थान किराये के भवन में संचालित किया जाना अवगत करवाया गया है, तथा आगामी वर्ष 2025 तक किराये के भवन का एग्रीमेन्ट वर्णित किया है। जबकि राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल विनियम 2014 के Part XV Rule 53 (1)A के प्रावधानों की अनुपालना में 05 वर्ष पूर्ण होने पर स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधान है। इस बाबत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 300 दिनांक 02.05.2022 द्वारा सचिव / अध्यक्ष / प्रधानाचार्य Pandit Gopiram Public Health Education Society. (B.B.N. College of Paramedical Sciences, Dayand Marg, Opp. Company Bag, Alwar, Rajasthan.) को दिनांक 05.05.2022 को उपस्थित होने को निर्देशित किया गया। संस्थान द्वारा पुनः समय चाहे जाने पर दिनांक 09.05.2022 निर्धारित कर नोटिस का जबाव देने एवं व्यक्तिशः सुनवाई करने हेतु निर्धारित की गई।

इस क्रम में दिनांक 09.05.2022 को सचिव / अध्यक्ष Pandit Gopiram Public Health Education Society. ने कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि सोसायटी की आर्थिक स्थिति कोरोना महामारी के कारण ठीक नही रहने के कारण संस्था द्वारा उपरोक्त प्रावधानो की पालना नहीं की है, तथा आगामी दो वर्ष का समय स्वंय के भवन हेतु भूमि क्रय करने एवं निर्माण हेतु समय देने का अनुरोध किया है। जबकि कोरोना आने से पूर्व ही संस्थान को लगभग 4½ वर्ष पूर्व हो चुके थे इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 30.03.2022 के साथ प्रस्तुत संस्थान की लीज डीड / किरायानामा की अवधि बढाने हेतु दिनांक 02.02.2021 को दस्तावेज निष्पादित किया गया है, जिसमें संस्थान को 28.02.2025 तक किराये पर लिये जाने का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संस्थान की मंशा पूर्व से ही नियमों की पालना नही करना रही है, कोरोना का बहाना लेना उचित नही है।

इस संबंध में राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 के 2014 के Part XV Rule 53 (1)A के प्रावधानों की अनुपालना में 05 वर्ष पूर्ण होने पर स्वंय के भवन में संस्थान को शिफ्ट किये जाने का प्रावधानो का उल्लंघन संस्थान द्वारा किया गया है। संस्थान को मान्यता देने के उपरान्त लगभग 06½ वर्ष पूर्ण हो चुके है इसके उपरान्त भी संस्थान ने राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल एक्ट 2008 के 2014 के Part XV Rule 53 (1)A के प्रावधानो की अनुपालना नहीं की है।

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

सी–7(ए) सुल्तान हाउस सवाई जयसिंह हाईवे बनीपार्क जयपुर –302016
Website : rajasthanparamedicalcouncil.org, Contact : 0141-2973804
Email-id pmcrajasthangov.in@gmail.com, Contact : 0141-4004914

अतः B.B.N. College of Paramedical Sciences, Dayand Marg, Opp. Company Bag, Alwar, Rajasthan. (सचिव / अध्यक्ष Pandit Gopiram Public Health Education Society.) को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से आगामी शैक्षणिक सत्रो के लिये Diploma in Medical Lab. Technology, पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमो में छात्रो के प्रवेश आवंटन पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है।

(कैलाश नारायण मीना)
R.A.S.
रजिस्ट्रार

क्रमांकः पं. 1 / पैरामेडि.कौं / मान्यता / 2022 / 349 दिनांकः– 10/05/2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव / अध्यक्ष Pandit Gopiram Public Health Education Society.
2. प्रधानाचार्य, (B.B.N. College of Paramedical Sciences, Dayand Marg, Opp. Company Bag, Alwar, Rajasthan.)
3. लेखा / मान्यता / काउन्सलिंग / परीक्षा / विधि / पंजीयन / स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को पालनार्थ।
4. सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे।
5. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार